न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07 / 2024 नामान्तरकरण अपील

1. शिवलाल मीना पुत्र कालूराम मीना
2. इन्द्रराज मीना पुत्र कालूराम मीना
   समस्त जाति मीना निवासी भोजराज की कोठी, बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 04.01.1983 ग्राम गुल्लाना तहसील बसवा जिला दौसा।

उपस्थिति :–: श्री नवीन कुमार गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 28.11.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के पिता कालूराम मीना है। अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु के समय अपीलान्ट्स नाबालिग थे। अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 04.01.1983 नायब तहसीलदार बसवा द्वारा कैम्प गुल्लाना में खोला गया, जिसमे अपीलान्ट्स शिवलाल एवं इन्द्रराज के बचपन के नाम क्रमशः विश्राम एवं पप्पू दर्ज कर दिये गये। अपीलान्ट्स के वास्तविक नामों से अपीलान्ट्स की विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने हेतु नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 04.01.1983 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्स के पिता कालूराम की मृत्यु के समय अपीलान्ट्स नाबालिग थे। अपीलान्ट शिवलाल को बचपन में विश्राम कहकर बुलाते थे, जबकि उसके समस्त दस्तावेज आधार कार्ड नम्बर 553237732702, सैकण्डरी की मार्कशीट, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम शिवलाल पुत्र कालूराम है। इसी प्रकार इन्द्रराज मीना को घर पर पप्पू के नाम से बुलाते थे जबकि इन्द्रराज के समस्त दस्तावेज आधार नम्बर 661812455162, माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज में इन्द्रराज मीना पुत्र कालूराम दर्ज है। अपीलान्ट्स के वास्तविक नाम शिवलाल एवं इन्द्रराज ही है। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय इन्द्रराज की उम्र 5 वर्ष एवं शिवलाल की उम्र 6 वर्ष रही थीं उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण कैम्प में स्वीकृत किया गया है। जो कि सम्भवतः गांव वालो के बताये अनुसार अपीलान्ट्स के बचपन में घर पर बोले जाने वाले नामों से ही स्वीकृत कर दिया गया [illegible] नामान्तरकरण में सही नाम ही दर्ज किये जाने चाहिये। अपीलान्ट के पिता की अन्य कृषि [illegible] गां[illegible]वणा की ढाणी बसवा में स्थित है। जिसमे अपीलान्ट्स के पिता की विरासत का नामान्तरकरण [illegible] के वास्तविक नामों से ही स्वीकृत किया गया है, जिसकी जमाबन्दी खाता संख्या [illegible] 13 ग्राम बसवा प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामा. संख्या 1[illegible] दिनांक 04.01.1983 ग्राम [illegible]ना निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के वास्तविक नामों से नामान्तकरण विधिवत रूप से सुनवाई करके स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.12.19 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 04.01.1983 को तस्दीक किया गया है, जिसकी अपील लगभग 41 वर्ष के बाद की गई है एवं इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। अपील में अंकितानुसार इन्द्रराज को घर पर पप्पू के नाम से बुलाया जाना जबकि इन्द्रराज के समस्त दस्तावेज आधार नम्बर 661812455162 एवं माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज में इन्द्रराज मीना पुत्र कालूराम दर्ज होना तथा अपीलान्ट का वास्तविक नाम इन्द्रराज होना अंकित किया गया है, जबकि अपील के साथ पत्रावली में प्रस्तुत किये गये आधार कार्ड नम्बर 661812455162 में इन्द्रराज मीना पुत्र छुट्टन लाल मीना अंकित है, साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 1995 की अंकतालिका में भी इन्द्र राज मीना पुत्र छुट्टन लाल मीना अंकित है। पेन कार्ड संख्या **BAFPM7497F** की छायाप्रति में भी इन्द्र राज मीना पुत्र छुट्टन लाल मीना अंकित है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा अपील में अंकित तथ्य एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात में अंकित तथ्यों में भिन्नता होने के कारण अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा जवाब बहस में दस्तावेज की सूची मय संलग्न दस्तावेज पेश कर निवेदन किया गया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 28.01.1992 को प्रार्थी इन्द्रराज पुत्र कालू दत्तक पुत्र श्री छुट्टन लाल जाति मीना नाबालिग द्वारा माता श्रीमति शान्ति विधवा कालू जाति मीना निवासी गुल्लाना की ढाणी तहसील बसवा जिला जयपुर के पक्ष में मृतक श्री छुट्टन लाल का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन्द्रराज पुत्र कालू को मृतक छुट्टन लाल का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजातो का अवलोकन करने के पश्चात् प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत विरासत के नामान्तरकरण में मृतक काल्या पुत्र किशना के वारिसान की जांच कर एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर नियमोचित कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.12.19 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested